विधान परिषद् के प्रथम सत्र, 2023 के द्वितीय बुधवार के लिए निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-2 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
2(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि खनन के लाइसेंस आवन्टन में आवन्टियों को बालू खनन करने की कोई निर्धारित गहराई तक ही खनन करने के निर्देश दिये गये है ?	Sustainable sand mining guidelines 2016 तथा Enforcement and monitoring guidelines for sand mining 2020 तथा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) निमावली, 2021 के नियम-42(2)(ज) के प्राविधानों के अनुसार नदी तल में बालू खनन अधिकतम 03मी० गहराई अथवा जलस्तर, जो भी पहले हो, तक किया जायेगा ।
(ख) जनपद सिद्धार्थनगर के अनेक चिन्हित खनन स्थानों पर गहराई, लम्बाई व चौड़ाई का निर्धारण किन अधिकारियों द्वारा किया जाता है ?	खनन पट्टा विज्ञापन के पूर्व खनन क्षेत्र का सर्वेक्षण जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति, जिसमें राजस्व विभाग, खनन विभाग एवं वन विभाग के प्रतिनिधि होते हैं, द्वारा किया जाता है ।
(ग) क्या उक्त निर्धारण के आधार पर जनपद सिद्धार्थनगर में खनन स्थानों में गहराई के निर्धारण के अनुसार खनन करने का अनुपालन किया जाता है ?	जी हाँ ।
(घ) क्या मानक के विपरीत खनन करने के कारण नदियों के उथली हो जाने के कारण बाढ़ का प्रकोप बढ़ जाता है ?	प्रश्न नहीं उठता।
(ड.) क्या ऐसे उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही कर जाँच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?	प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री।